

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
बड़जलास - चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 54/2024

**प्रार्थी**  
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा  
अधिकारी कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी कम अभिहित  
अधिकारी, नागौर

**बनाम**

**अप्रार्थी**  
राजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र सुरजन सिंह निवासी राम्जिपुरा खुर्द, जयपुर।  
मैसर्स:- गदनामोहन ट्रेडिंग कम्पनी, मुनी आश्रम के पास, मेडतासिटी

**आदेश**

दिनांक :18.09.2025

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 28-05-2024 को मैसर्स मदनमोहन ट्रेडिंग कम्पनी, मुनी आश्रम के पास, मेडतासिटी पर खाद्य पदार्थ पाव भाजी मसाला (मिक्स मसाला) (लक्ष्मी) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2997 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/668/एक्ट/2024/688 दिनांक 10.06.2024 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ पाव भाजी मसाला (मिक्स मसाला) (लक्ष्मी) Contravin to regulation no. 2.9.20.2(5) का उल्लंघन होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त राजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र सुरजन सिंह निवासी राम्जिपुरा खुर्द, जयपुर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ. एस.एस.ए. 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 18-11-2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक क्रमांक एलएस/668/एक्ट/2024/688 दिनांक 10.06.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ पाव भाजी मसाला (मिक्स मसाला) (लक्ष्मी) का नमूना Contravin to regulation no. 2.9.20.2(5) का उल्लंघन होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र सुरजन सिंह निवासी राम्जिपुरा खुर्द, जयपुर पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/- अक्षरे पच्चास हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/25  
(चम्पालाल जीनगर)  
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर (राजस्थान)

4.3.25

431144